



159

रिविजन क्रमांक -

पेशी दिनांक - 26/7/18

कॉम्प

माननीय अध्यक्ष राजस्व मंडल

महोदय इंदौर, इंदौर (म.प्र.)

किरानगी - 5828/2018/झाबुआ/भू.रा.

धन्ना पिता तोलिया भाभर (भील),

निवासी - ग्राम - बियादाबर,

तहसील व जिला - झाबुआ (म.प्र.)

पुनरीक्षणकर्ता

कार्यालय आयुक्त इंदौर संभल इंदौर

श्री ...

प्रार्थी/अभिभागत द्वारा दिनांक 26-07-2018

को प्रस्तुत।

814

26-07-2018

रेस्पॉण्डेंटस

अधीक्षक आयुक्त कार्यालय

विरुद्ध

बहादुर पिता तोलिया ,

निवासी - ग्राम - बियादाबर,

तहसील व जिला - झाबुआ (म.प्र.)

श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय, पेटलावद, जिला - झाबुआ द्वारा पारित

आदेश दिनांक 2.03.2018 के विरुद्ध पुनरीक्षण याचिका अर्थात् धारा 50-भू.रा. 21अखत शिहता

पुनरीक्षणकर्ता तर्फे विनम्र निवेदन एस प्रकार है कि :-

1) यह कि पुनरीक्षणकर्ता द्वारा एक आवेदन माननीय तहसीलदार महोदय के समक्ष रकबे के मान से बंटवारा करने हेतु एक आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया था परन्तु माननीय तहसीलदार महोदय द्वारा प्रकरण में स्वत्व का प्रश्न उठाते हुए प्रकरण में कार्यवाही तीन माह हेतु स्थगित करते हुए सिविल न्यायालय से स्थगन आदेश लाने हेतु नियत कर दिया।

2) यह कि, तहसीलदार महोदय के उक्त आदेश से दुखी होकर पुनरीक्षणकर्ता द्वारा श्रीमान अनुविभागीय महोदय, पेटलावद, झाबुआ के समक्ष प्रस्तुत कि गई परन्तु उक्त अपील श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय द्वारा अपने आदेश दिनांक 23.03.2018 के तहत न्यायिक कर दी गई उक्त आदेश से पुनरीक्षणकर्ता को पुनरीक्षण करने का

R-2858/2018/आवेदन/र.व.

15-4-2019

प्रकरण का अवलोकन किया गया। आवेदन
आवेदक और योगेश मिश्रा उपाधिकृत।
आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय
आधिकारी के कोदेश के विरुद्ध इस न्यायालय
में प्रस्तुत की गई है। दिनांक 25.9.2018
से म.प्र. श्र. राजस्व संहिता में संशोधन
2018 प्रभावशील हो जाने से अब अनुविभागीय
आधिकारी द्वारा पारित की निगरानी का निराकरण
मण्डल द्वारा नहीं किया जाकर कलेक्टर द्वारा
किया जाना है। अतः संहिता की संशोधित द्वारा
50 संशोधित धारा 54(ग) के तहत यह प्रकरण

कलेक्टर मं. के ल.

N. S. S. S.
30/5/19

2
15/4/19

के कोदेश के तहत कलेक्टर को भेजा जाता है। आवेदन
दि. 30-5-19 को कलेक्टर के समक्ष उपाधिकृत हो।

मीडर

अधीक्षक

(C)